चरनलाल बनाम गिर्राज वगैरा
धारा 251(A) R.T. Act

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23-8-22 वकील उभयपक्ष उप० । वास्ते जवाब अप्रार्थीगण पत्रावली दि० 20-9-22 को पेश हो।	
20-9-22 वकील उभयपक्ष उप० । वास्ते जवाब अप्रार्थीगण पत्रावली दि० 17-10-22 को पेश हो।	
17-10-2022 वकील उभयपक्ष उप० । वास्ते जवाब अप्रार्थीगण पत्रावली दि० 31-10-2022 को पेश हो।	
31-10-2022 वकील उभयपक्ष उप० । वकील अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते जवाब पत्रावली दि० 11-11-2022 को पेश हो।	
11-11-2022 वकील उभयपक्ष उप० । अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। वास्ते बहस पत्रावली दि० 14-11-2022 को पेश हो।	
14-11-2022 वकील उभयपक्ष उप० । बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 12-12-2022 को पेश हो।	
12.12.22 वकील उभयपक्ष उप० है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (A) R.T. Act स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से खारिज होकर … शामिल दफ्तर हो।	

उप जिला कलेक्टर
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
823/2021	15.11.2021	12.12.2022

चरतलाल पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी—प्रार्थी

बनाम

1. गिर्राज पुत्र कन्हैया, बैरवा निवासी जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. पप्पू पुत्र कन्हैया, बैरवा निवासी जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. प्रेमराज पुत्र कन्हैया, बैरवा निवासी जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. बाबूलाल पुत्र कन्हैया, बैरवा निवासी जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. रामपती पत्नी स्व0 कन्हैया, बैरवा निवासी जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. रामफूल पुत्र सुखपाल, बैरवा निवासी जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील तलावडा —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम खान, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट,अप्रार्थी नं0 1 लगा0 5 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0नं0 138 रकबा 0.81 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.18 है0 ग्राम जैतपुर में है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 139 रकबा 0.55 है0 ग्राम जैतपुर में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर है। दिनांक 4.7.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने प्रार्थी को उसकी भूमि पर आने जाने के एकमात्र रास्ते को बन्द कर दिया। प्रार्थी ने जब रास्त बन्द नहीं करने के लिए अप्रार्थीगण से कहा तो वे नाराज हो गए एवं कहा कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को इस रास्ते से नहीं आने जाने देंगे। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में होकर जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित किया हुआ है। प्रार्थी को नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित रास्ता जो पूर्व से पश्चिम 15 फीट चौडा व उत्तर से दक्षिण 100 फीट लम्बा रास्ता दिलाए जाने के आदेश प्रदान करें तथा प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर के मुताबिक कीमत का ड्राफ्ट जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल ख0नं0 139 में प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:08 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित स्थान तक पूर्व से पश्चिम 15 फीट चौडा एवं उत्तर से दक्षिण 100 फीट लम्बा रास्ता प्रार्थी से डी0एल0सी0 रेट से राशि जमा कराकर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौके की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ । अतः उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने जबाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि प्रार्थी ने मिन जबाबदारान के विरूद्ध गलत व कपोलकल्पित मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मिन जबाबदारान की खातेदारी भूमि ख0नं0 139 में होकर प्रार्थी की भूमि ख0नं0 138 में जाने के लिए कोई रास्ता मौके पर नहीं है। प्रार्थी ने पटवारी व तहसीलदार साहब से सांठ गांठ कर गलत तरीके से रास्ते बाबत् रिपोर्ट मंगवाई है। मौका रिपोर्ट मंगवाते समय मौके पर मिन जबाबदारान को ना तो कोई सूचना दी गई और ना ही बुलवाया गया। एकपक्षीय रूप से गलत तथ्यों के आधार पर साज करके मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 138 में जाने के लिए प्रार्थीगण का रास्ता ख0नं0 135, 135/881, 136, 137 में होकर पूर्व से चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी जबरन मिन जबाबदारान की भूमि में होकर दूसरा रास्ता निकालना चाहते हैं जो विधि अनुसार उचित नहीं है। मिन जबाबदारान की भूमि में होकर रास्ता निकालना मिन जबाबदारान के साथ सरासर अन्याय होगा तथा मौके पर भी अनुचित व गलत रास्ता दर्ज होने से मिन जबाबदारान को अपूर्णनीय क्षति होगी । अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी नजरी नक्शा, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 54, 49, 96 ग्राम जैतपुर, नकल नक्शा ट्रेस, नकल डी0एल0सी0 रेट प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी

लेक्टर
(मु0मा0)

ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/350 दिनांक 9.2.2022 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ख0नं0 138 के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता ख0नं0 139 में होकर पडता है। पूर्व में ख0नं0 138 के खातेदारान द्वारा ख0नं0 139 में होकर पगडंडीनुमा रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है। वर्तमान में ख0नं0 139, 138 की भूमि कृषि उपयोग में आ रही है । ख0नं0 139 में होकर रास्ते की लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। प्रार्थी पूर्व से ही ख0नं0 139 में होकर आवागमन करते आ रहे हैं, ख0नं0 138 तक जाने के लिए पूर्व व वर्तमान में कोई रेकार्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण मौके पर उपस्थित नहीं हुए तथा दूरभाष पर संपर्क करने पर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक खाता संख्या नहीं बताई गई है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए गए रास्ते को खातेदार पूर्व से रास्ते के काम लेते आ रहे हैं जिसकी पुष्टि तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट से भी होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने का कष्ट करें।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी ने नजरी नक्शे में जो रास्ता बताया है वह मौके पर रास्ता नहीं है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए सुगम व सीधा रास्ता पूर्व से ख0नं0 135, 135/881, 136, 137 में होकर चला आ रहा है किन्तु प्रार्थी जानबूझकर मिन जबाबदारान की भूमि में होकर रास्ता निकालना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा भूमि ख0नं0 139 में होकर 15 फीट चौडाई में 100 फीट लम्बा रास्ता चाहा जा रहा है। तहसीलदार [illegible] सिटी की रिपोर्ट दिनांक 9.2.2022 के अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी [illegible] जाने के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता ही है। फलस्वरूप प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested

लेक्टर
ा0मा0)

चरतलाल बनाम गिर्राज वगैरा, प्रा0पत्र 251(ए) आर0टी0एक्ट

(4)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाए गए रास्ते के अनुसार एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्णित विवरण के अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0नं0 138, 125 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि ख0नं0 139 ग्राम जैतपुर में से 4 मीटर चौडाई का व 40 मीटर लम्बाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग हेतु रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। यह भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 139 ग्राम जैतपुर में से कम की जाकर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज की जावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त डी0एल0सी0 दर के अनुसार 160 वर्गमीटर भूमि की कीमत 4284/—रू0 होती है जो प्रार्थी द्वारा जिन जिन अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता दिया जा रहा है एवं उनकी जितनी जितनी भूमि रास्ते के रूप में ली जा रही है उनको उसी अनुसार राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः उपरोक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी इस न्यायालय में जमा करावें । निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:08 IST
Reason: SelfAttested